राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **36 / 2022** अपील सू.प्र.

उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी जी 37, रीको 4 फेज, पुर रोड, भीलवाड़ा। **बनाम** लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, माण्डल।

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 16.05.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के विरूद्ध दिनांक 07.04.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 903850 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 25.02.2022 को लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, माण्डल को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 13.04.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा पत्रांक 05 दिनांक 09.05.2022 से जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना उपखण्ड कार्यालय, करेडा से संबंधित होने से उक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, करेडा को स्थानांतरित किया गया, जिसकी सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के पत्रांक सूचना का अधिकार / 2022 / 02 दिनांक 04.03.2022 से प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक दी गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदन, अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, करेडा को अंतरित कर दिया गया है एवं इसकी सूचना प्रार्थी को भी रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गयी है। इसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रत्यर्थी नहीं बनाया गया है एवं आवेदन अंतरित हो जाने के संबंध में भी तथ्यों को छुपाया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) अस्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत आवेदन पत्रों में सम्पूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 16.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा